

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 25/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स कादिर शेख, बर्तन वाले लाखन कोटड़ी, बाफना भवन के पास जैन पाण्डाल, अजमेर
जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 8 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 20.09.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.07.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा मोहरम मेले के दौरान घरेलू/अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों के अनैस्य रूप व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध उपयोग के रोकने के अभियान के तहत अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच कार्यवाही की गई। उक्त व्यवसाय स्थल पर अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि में किया जाना पाया गया। अप्रार्थी की फर्म से एक अप्रमाणित गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	-	-	-	-	-	अप्रमाणित

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया। एल.पी.जी गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री अय्युब खाँ पुत्र श्री कय्यूम खाँ अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।


जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.07.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये तीन घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए की जानकारी नहीं होने के कारण अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के स्थान पर घरेलू/अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का उपयोग किया गया था। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाते हुए जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब कथन में भी ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रकट नहीं हो, जो प्रार्थना पत्र तथ्यों का खण्डन करते। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि जब्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर